



## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक: राशिके/पीए/12/22

भोपाल, दिनांक: 24-2-2012

प्रति,

समस्त कलेक्टरस  
मध्यप्रदेश

आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इस बावत समय-समय पर जिलों को सूचित भी किया गया है। इसके बावजूद कई स्थानों से यह शिकायत आती रहती है कि कलेक्टर/जिला पंचायत या अन्य जिला कार्यालयों में शिक्षकों को सम्बद्ध किया जाता है। हाल ही में शहडोल जिले में ऐसा प्रकरण में आया है जिसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शहडोल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर लें और यदि कोई शिक्षक संलग्न पाया जाता है तो तत्काल विद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए मुक्त करें।

(अशोक बर्णवाल)  
आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठा. क्रमांक: राशिके/पीए/12/23

भोपाल, दिनांक: 24-2-12

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
2. आयुक्त, आदिवासी विभाग, भोपाल
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश
4. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले मध्यप्रदेश
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले मध्यप्रदेश

आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र